COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

INDIA FIVE RUPEES Rs.5 पाँच रुपये 5रु. भारत CANCELLED

(119)

समक्ष न्यायालय माननीय राजस्व मंडल, ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व अपील क्रं. निगरानी - 3795/2018/बालाघाट/भू.रा. /2018

आवेदकगण 1 लखनलाल उम्र 67 वर्ष पिता स्व. सुमरत बाहेश्वर जाति मरार
2 मक्खनलाल उम्र 64 वर्ष पिता स्व. सुमरत बाहेश्वर जाति मरार
3 नन्दूलाल (मृत) पिता स्व. सुमरत बाहेश्वर जाति मरार
द्वारा पत्नि कान्ताबाई बाहेश्वर उम्र 50 वर्ष जाति मरार
सभी निवासी वार्ड नं. 7, बैहर रोड, बालाघाट
तह. व जिला बालाघाट (म.प्र.)

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत 5832 11 MAY 2018

विरूद्ध

अनावेदक 1 केशरबाई पिता भूमा उम्र 64 वर्ष पति स्व. प्रेमलाल सिंगारे जाति मरार
2 जैवन्ती पिता भूमा उम्र 68 वर्ष पति रामचरण भवरे जाति मरार
3 फेकन बाई पिता भूमा उम्र 66 वर्ष पति पूरलाल माजी जाति मरार
निवासी वार्ड नं. 7, बैहर रोड, बालाघाट तह. व जिला बालाघाट म. प्र.

(583)

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व, संहिता

आवेदकगण की ओर से निम्नानुसार निवेदन प्रस्तुत है:–

पुनरीक्षण आवेदन विरूद्ध आदेश दिनांक 05/09/2016 राजस्व प्रकरण क. 82–अ 6 वर्ष मौजा बालाघाट प.ह.न. 13/2 द्वारा विद्वान नजूल अधिकारी बालाघाट जिसके द्वारा आवेदकगणों का आवेदन यह कहते हुये वापस कर दिया गया है कि, चूँकि कलेक्टर महोदय, द्वारा पूर्व में इसी विवादित भू–खण्ड हेतु दो पृथक–पृथक प्रकरण तैयार किये जाकर पृथक–पृथक धारकों के नाम से दस्तावेज में नाम दर्ज करने का आदेश किया जा चुका है अतः आवेदन की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है व सक्षम न्यायालय में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये। चूँकि श्रीमान् आयुक्त महोदय को पुनरीक्षण का क्षेत्राधिकार ना होने से यह आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य

1 यह कि आवेदकगण एवं अनावेदकगण एक ही जाति समाज के सदस्य होकर सगे संबंधी हैं एवं वे यहां के स्थायी निवासी होकर मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं।

2 यह कि उभय पक्षों की पैतृक आबादी/नजूल जमीन जिस पर कच्चा मिट्टी का मकान बना है, वार्ड नं. 7, बैहर रोड, बालाघाट तह. व जिला बालाघाट (म.प्र.) में स्थित है जिसमें उभय पक्षकारान पारिवारिक व्यवस्था व कब्जे के आधार पर निवास करते हैं।

3 उभय पक्षों का पारिवारिक सिजरा निम्नानुसार है :–

नरबद(उभय पक्षों के आजा/दादा)
दो पुत्र
|–––––––––––––|

सुमरत (3 पुत्र)		भूमा (3 पुत्रियां)	
1	लखनलाल	1	जयवन्ती
2	मक्खनलाल	2	फेकनबाई
3	नन्दूलाल (मृत)	3	केशरबाई

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 3795/2018/बालाघाट/भू.रा.

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/8/18	यह निगरानी नजूल अधिकारी बालाघाट व्दारा प्रकरण कमांक 82 अ–6/13–14 में पारित आदेश दिनांक 5–3–2016 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल में दिनांक 01–05–2018 को प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को के कम में नजूल अधिकारी बालाघाट के आदेश दिनांक 5–3–2016 के अवलोकन से परिलक्षित है कि कलेक्टर जिला वालाघाट के प्रकरण कमांक 16 अ–20(1) 84–85 में पारित आदेश दिनांक 18–9–89 से वादित भूखंड पर महिला केशरवाई का नाम दर्ज हुआ है तथा इसी भूखंड पर प्रकरण कमांक 1027 अ 20/(1) 89–90 में पारित आदेश दिनांक 17–10–89 से सुमरत के नाम स्वीकृति हुई है अर्थात एक ही भूखंड दो पक्षकारों को स्वीकृत हो जाने से कलेक्टर बालाघाट के आदेश को सॅशोधित करने की शक्तियॉ नजूल अधिकारी वालाघाट को न होने से आवेदकगण का आवेदन अमान्य किया गया है, जिसके कारण आवेदकगण तदाशय का पुनरावलोकन आवेदन देकर कलेक्टर वालाघाट से सुधार कर मांग करने हेतु स्वतंत्र है । 4/ जहां तक नजूल अधिकारी बालाघाट के आदेश दिनांक 5–3–2016 के विरूद्व राजस्व मण्डल में निगरानी सुने जाने क प्रश्न है ? म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये। राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 4 कमांक एक की कंडिका 18 में व्यवस्था दी गई है कि नजूल अधिकारी व्दारा पारित आदेश के विरूद्व अभ्यावेदन कलेक्टर को, कलेक्टर व्दारा पारित आदेश के विरूद्व आयुक्त को एंव आयुक्त व्दारा पारित आदेश के विरूद्व अभ्यावेदन राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत निगरानी प्रचलनशील न पाये जाने से अमान्य की जाती है। सदस्य	